



क्रमांक: 33379

दिनांक: 30.09.2026

अल्पकालिक ई-निविदा संख्या 05/2026-27

Tender for Food facilities work for three days event (Shekhawati Sahitya Sangam) from 09th to 11th October, 2026

Mode of Bid Submission	On Line (E-Tender)
Procuring Entity	Registrar Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar 332024
Estimated Cost of Tender	03,00,000/-
Tender Uploading Date	30.09.2026
Last date & Time of On-line submission of Technical Bid	05.10.2026 (Till 04.00 PM)
Last date & time of submission of DD of EMD processing fee & Tender fee in office	05.10.2026 (Till 04.00 PM)
Date & time of opening of On-Line Technical Bid	05.10.2026 (At 05.00 PM)

- Cost of E-Tender Document and fee in favour of Registrar, Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Rs. 2000/-
- EMD Bid security for the tender cost @ 2% i.e. Rs. 6,000/-
- E-Tender processing fee in favour of MD, RISL, Jaipur Rs. 500/-

Registrar
Pandit Deendayal Upadhyaya
Shekhawati University, Sikar

Name & Signature of Bidder with Seal



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाइट www.shekhauni.ac.in ई-मेल: registrar@shekhauni.ac.in

अल्पकालिक ई-निविदा संख्या 05/2026-27 (तकनीकी बिड़)

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम, डाक का पता व टेलीफोन/मोबाईल नम्बर
2. किसको सम्बोधित किया—कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. सन्दर्भ : आपकी ई-निविदा सूचना क्रमांक/2026-27 दिनांक
4. हम कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हम ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्षों में से न्यूनतम किसी एक वर्ष में किसी सार्वजनिक विभाग द्वारा जारी संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता के पास फूड लाइसेंस होना अनिवार्य रहेगा।
7. निविदादाता द्वारा जीएसटी एवं पैन कौर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता द्वारा न्यूनतम किसी भी एक सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा जारी संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. ब्लैकलिस्ट नहीं होने का शपथ-पत्र (100 रुपये के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पर)
10. बैंकड्राफ्ट/बैंकर्सचैक संख्यादिनांक.....
.....(जारी कर्ता बैंक का नाम) रुपये/- के लिए अमानत राशि के पेटे संलग्न है। जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो।
11. बैंकड्राफ्ट सं०दिनांकराशि 2000/-
.....(जारीकर्ता बैंक का नाम) जो कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को देय हो (निविदा शुल्क के पेटे संलग्न)
12. बैंकड्राफ्ट सं०दिनांकराशि 500/-
(जारीकर्ता बैंक का नाम) जो MD RISL, Jaipur को देय हो वास्ते (प्रोसेसिंग फीस के पेटे संलग्न)
13. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Financial Bid
शेखावाटी साहित्य संगम

क्र.सं.	पैकेज	निविदा राशि (अंको में)	निविदा राशि (शब्दों में)
1.	पैकेज-1 (विवरण संलग्न)		

~

पैकेज 1 विवरण

शेखावाटी साहित्य संगम - कार्यक्रमवार आवश्यक सामग्री एवं व्यवस्था सूची

कार्यक्रम: शेखावाटी साहित्य संगम एवं सांस्कृतिक उत्सव

प्रारूप: कार्यक्रम-वार अद्यतन सामग्री चेकलिस्ट (अतिरिक्त प्रविष्टियों हेतु रिक्त स्थान सहित)

क्र. सं.	दिनांक	कार्य	समग्री का विवरण	आपूर्ति संख्या
1.	08 अक्टूबर, 2026	रात्रि का भोजन	दाल+सब्जी+चावल+रोटी+सलाद+मिठाई	100
2.	09 अक्टूबर, 2026	सुबह का नाश्ता	फ्रूटी / चाय+कचौरी+मिठाई	250
3.	09 अक्टूबर, 2026	दोपहर का भोजन	दाल+सब्जी+चावल+रोटी+सलाद+मिठाई	300
4.	09 अक्टूबर, 2026	रात्रि का भोजन	दाल+सब्जी+चावल+रोटी+सलाद+मिठाई	150
5.	10 अक्टूबर, 2026	सुबह का नाश्ता	चाय+पोहा	250
6.	10 अक्टूबर, 2026	दोपहर का भोजन	दाल+सब्जी+चावल+रोटी+सलाद+मिठाई	300
7.	10 अक्टूबर, 2026	रात्रि का भोजन	दाल+सब्जी+चावल+रोटी+सलाद+मिठाई	150
8.	11 अक्टूबर, 2026	सुबह का नाश्ता	चाय+वेज पकौड़ा	250
9.	11 अक्टूबर, 2026	दोपहर का भोजन	दाल+सब्जी+चावल+रोटी+सलाद+मिठाई	300

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, —

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्त, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा; हित का विरोध

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर



निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक.....दिनांक.....के तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं कि

01. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते हैं ।
02. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं ।
03. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।
04. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है ।
05. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो ।

स्थान :

तारीख :

निविदादाता के हस्ताक्षर



निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपील अधिकारी का पद एवं पता.....कुलसचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

द्वितीय अपील अधिकारी का पद एवं पता.....कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व -अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा: परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है: परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वित्तिय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है ।
1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा - 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारीख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा ।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वध कोई अपील नहीं होगा ।
अर्थात:
क: उपापन की आवश्यकता का अवधारण
ख बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
ग. यह विनिश्चय की निबंधनों में बातचीत की जाये या नहीं
घ. निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण
ड. गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना ।
4. **अपील का प्रारूप.**— (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं ।
(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी ।



(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. अपील फाइल करने के लिए फीस.-

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया.-

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,--
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
- (5) किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायीक क्षेत्र सीकर रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील
का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii) .

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके

विरुद्ध अपील की गयी है और

अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम,

जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि

संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के

उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी

विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे

अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा

प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता

है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों

और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....

.....

.....

. (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :

.....

.....

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

निविदा की अतिरिक्त शर्तें**1. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार.- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार.-

- (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।
- (2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी -
- (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 20 प्रतिशत और
- (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 25 प्रतिशत।

3. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन.-

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि



उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

